घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून (2005) का क्रियान्वयन : एक स्थिति विश्लेषण

Vishakha
Mahila Shiksha Evam Shodh Samiti

Action Aid
Rajasthan

पृष्ठभूमि

महिलाओं के साथ घटने वाली हिंसा की व्यापकता से हम सब परिचित है। 48.46%[1] महिला आबादी वाले देश में अपराध[2] का 18.6% हिस्सा (IPC + SLL मिलाकर) महिलाओं के साथ घटित होता है। यह अपराध की वह शक्ल है जो हमें कानून की दृष्टि में मय सबूत दिखाई देती है। हमारे कई व्यवहार जो कानून से परे हैं, हिंसक है, उनके लिए हमारे पास कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।

पितृसत्तात्मक समाज में महिला होना मात्र ही एक दोयम दर्जे का प्रतीक रहा है। महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार इसी मानसिकता से प्रभावित रहा है। इसकी पराकाष्ठा शादी के समय लड़की के साथ–साथ दिये जाने वाले दहेज और उससे उपजे परिणामों से साफ समझी जा सकती है। नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8283 केस पूरे भारत में दर्ज किये गए जिनमें से 478 राजस्थान में दर्ज हुए।

पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ पहला कानून संभवतः शारदा एक्ट रहा होगा और इसी तरह का दूसरा कानून – दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझने के लिए हमने जेण्डर जैसे शब्दों की मदद ली। जेण्डर और जेण्डर भेद शब्द को 1970 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा 1979 में CEDAW (महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने हेतु संधि) और 1993 में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने हेतु घोषणा का दस्तावेज जारी कर महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को बारीकी से समझने का मसौदा रखा। 1995 में बीजिंग कॉन्फ्रेंस में हिंसा के विभिन्न प्रकारों को रेखांकित करते हुए इनसे जूझने के तरीकों की बात की गई।

यह एक बड़ी पहल थी जहां परतन्त्रता को हिंसा का एक बड़ा कारण माना और महिला पुरूषों के बीच यौनिक सम्बन्धों के जुड़ाव को इसका आधार माना। महिला–पुरूषों में गैरबराबरी, ताकत की असमानता, पुरूषों द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण को भेदभाव बढ़ाने वाला माना। वर्चस्व के लिए नियंत्रण ने भेदभाव को बढ़ा दिया।

इस प्रकार 1979 में CEDAW द्वारा चली मुहिम का असर और तेज हुआ जब जुलाई, 1993 में भारत सरकार ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर महिलाओं के प्रति होने वाली क्रूरता को स्वीकारा और उसे रोकने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की।

प्रतिबद्धता, मानव अधिकार और संविधान की दृष्टि से देखे तो बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, दहेज मृत्यु, पतियों द्वारा क्रूरता से जूझने के लिए बने कानूनों से हम एक कदम और आगे बढ़े। पहली बार कार्यस्थल पर यौन हिंसा उत्पीड़न रोकथाम के लिए विशाखा गाईड लाइन अगस्त, 1997 में आई और 2001 में घरेलू हिंसा रोकथाम की मांग को महिला आन्दोलनों ने पूरी कोशिश के साथ उठाया।

विभिन्न स्तरों पर लम्बे प्रयासों के परिणामस्वरुप अन्ततः 13 सितम्बर, 2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (PWDVA 2005) लागू किया गया। लगभग 13 माह बाद 26 अक्टूबर, 2006 को यह क्रियान्वयन की स्थिति में आया।

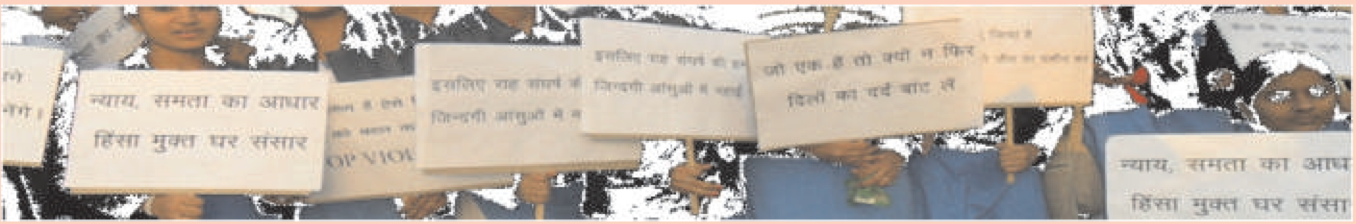

1. Provisional Population by censes of India 2011
2. Crime in India 2012 NCRB

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की खास बातें

- यह एक दीवानी कानून है, फौजदारी कानून नही है। (दीवानी कानून व्यक्तिगत अधिकारों की बहाली से सम्बन्धित होते हैं। इनका मकसद क्षतिपूर्ति होता है। इनमें एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। पुलिस इस तरह के अपराध में मजिस्ट्रेट आदेश के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।)
- इसमें मुख्य उत्तरदाता (respondent) किसी महिला को नहीं बनाया जा सकता।
- यह तात्कालिक राहत पर केन्द्रित है अर्थात समयबद्धता में राहत की बात करता है।
- एक ही कानून द्वारा कई तरीके की राहते जैसे संरक्षण, निवास, वित्तिय सहायता, अभिरक्षा, हर्जाना आदि राहत पाई जा सकती है।
- इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा को बहुत व्यापक रखा गया है जो अन्य कानून में शामिल नहीं थी ।
- साझी गृहस्थी की परिभाषा को विस्तारित रूप से परिभाषित किया गया है।
- इसका उपयोग कोई भी महिला (विवाहित, अविवाहित व एकल) कर सकती है।
- इसके तहत लड़कियां भी अपने अधिकारों की मांग अपने भाई, पिता या जिनके साथ वो घरेलू रिश्तेदारी में रहती है, से कर सकती है।
- इसमें महिला के सहयोग के लिए एक सहायक ढांचा है जो समयबद्ध, तात्कालिक और संवेदनशील तरीके से राहत प्राप्त करने में मदद करेगा। जैसे संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता।

मिलने वाली राहतें

- **संरक्षण आदेश** (धारा 18)
- **निवास आदेश** (धारा 19)
- **धनीय आदेश**(धारा 20)
- **बच्चे की अभिरक्षा** (धारा 21)
- **मुआवजा आदेश** (धारा 22)

अध्ययन के उद्देश्य

- राजस्थान में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून क्रियान्वयन की स्थिति को समझते हुए, क्रियान्वयन में आ रहे फर्क (Gap) को पहचानना।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की राय के आधार पर सुझावों को उभारना।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पैरवी हेतु सुझावों को समेकित करना।

कार्य प्रक्रिया

1. उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन
2. पांच जिलों में कानून क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार 45 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार
3. पांच जिलों के 500 व्यक्तियों के साथ सर्वे
4. अधिनियम के तहत पंजीकृत अल्पावास गृहों का अवलोकन
5. सघन केस स्टडी और कई स्तर पर छोटे–छोटे संवाद
6. सभी आंकड़ो को एकत्र कर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट लिखना
7. प्रत्येक जिले में छोटी–छोटी कार्यशालाओं के मार्फत चिन्तन, वेलिडेशन और आपसी चर्चाओं के अनेक दौर

अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन राजस्थान के 5 जिलों यथा जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर में नियोजित किया गया। अध्ययन से उपजी समझ को बांटने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

इस कानून के क्रियान्वयन को बेहतरी से समझने के लिए एक्शन एड राजस्थान के सहयोग से विशाखा संस्था द्वारा यह शोध किया गया।

अध्ययन के हिस्सेदार

23 महिलाएं जो इस अधिनियम के तहत मदद ले रही है।

न्यायपालिका के 7 व्यक्ति व

29 वकील
(11 ग्रामीण व 18 शहरी)

महिला अधिकारिता विभाग
26 संरक्षण अधिकारी
(14 ग्रामीण व 12 शहरी)

500 आमजन की राय
जिसमें
171 ग्रामीण महिलाएं
69 ग्रामीण पुरुष
164 शहरी महिलाएं
96 शहरी पुरुष

सेवा प्रदाता संस्थाए–12 संस्था प्रतिनिधि

चिकित्सा सुविधाए
7 चिकित्सा अधिकारी

8 अल्पावास गृह, सरकारी व गैर सरकारी

5 महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के सामाजिक कार्यकर्ता

पुलिस विभाग

28 पुलिस अधिकारी
(अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थानाधिकारी, महिला थाना व इलाका थाना)

अध्ययन से उभरती तस्वीर

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन विविध प्रकार से हो रहा है। यह एक ऐसा कानून है जो क्रियान्वयन के लिए सहायक ढ़ांचे की उपलब्धता और उसकी सक्रियता की मांग करता है। राजस्थान में इस कानून क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ो के आधार पर कानून क्रियान्वयन की कुछ इस प्रकार की तस्वीर उभारती है :–

संरक्षण अधिकारियों से जुड़े मसले

- राजस्थान में 574 संरक्षण अधिकारी हैं जिनके कार्यालय जिले व ब्लॉक स्तर पर तथा इनमें 326 महिला एवं 248 पुरूष कार्मिक
- गांव स्तर पर संरक्षण अधिकारियों की अनुप्लब्धता। सभी संरक्षण अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी CDPO / प्रचेता का कार्य है अर्थात संरक्षण अधिकारी का कार्य उनका मूल कार्य नहीं।
- 574 में 23 संरक्षण अधिकारियों के साथ यह शोध कार्य किया गया जिनमें शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर मात्र एक व्यक्ति संरक्षण अधिकारी के पद हेतु वांछित योग्यता रखता है।
- 22% संरक्षण अधिकारियों की DIR से अपरिचिता है अर्थात् 23 में से 5 संरक्षण अधिकारी DIR के बारे में नहीं जानते।

संरक्षण अधिकारी के पास केस भार –

48% के पास औसतन 0 केस

22% के पास औसतन 1 केस प्रतिमाह

30% के पास औसतन 2 केस प्रतिमाह

- शहरी और ग्रामीण इलाकों से देखें तो अधिकतम केस शहरों से आ रहे हैं।
- संरक्षण अधिकारी में से 65% ऐसे है जो सप्ताह में एक बार भी कोर्ट नहीं जाते।
- 70% संरक्षण अधिकारी ऐसे है जिन्होंने सम्मन तामील की प्रक्रिया को आज तक नहीं अपनाया, क्योंकि वे मानते है यह कोर्ट का कार्य है साथ ही इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस की है।
- 23 में से 15 (65%) संरक्षण अधिकारियों को सेवा प्रदाताओं की जानकारी नहीं है, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान की वेबसाईट पर सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध है।
- 23 में से 11 संरक्षण अधिकारी ऐसे है, जिन्होंने आने वाली महिलाओं की काउन्सलिंग नहीं की। शेष 12 ने किसी–किसी अथवा प्रति माह में 1 से 2 महिलाओं की काउन्सलिंग भी है। (कानूनन संरक्षण अधिकारी काउन्सलिंग नहीं कर सकते)
- घरेलू हिंसा कानून को लेकर संरक्षण अधिकारियों की कोई नियमित मॉनीटरिंग बैठक नहीं होती है।
- घरेलू हिंसा कानून की मॉनीटरिंग जिला महिला सहायता समितियां करेगी, लेकिन उनकी खुद की ही बैठकें नहीं होती।

महिलाओं के अनुभव

- सेवा प्रदाता भावनात्मक सहयोग दे पाते है।
- केस में राहत मिलने में 7 माह से 30 माह तक का समय, पेशियों की अधिकता और उत्तरदाता का न आना हतोत्साहित करता है।
- आर्थिक मदद के आदेश मिल पाते है किन्तु पैसा लेने में दिक्कतें आती है।
- वकालत के लिए पैसे देना मुश्किल हो जाता है।
- हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते।
- कोर्ट, पुलिस हमें सम्मान नहीं देती।
- वकील को देने के लिए भी पैसे नहीं होते।

वकीलों से जुड़े मुददे

- पांच जिलों में 25 वकीलों से साक्षात्कार किये गए।
- सभी एकमत कि वकीलों के बिना केस संभव नहीं।
- वकील प्राथमिक कोशिश करते हैं कि केस CRPC की धाराओं के तहत दर्ज हो न कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून में।
- वकील सम्मन तामील की जिम्मेदारी अक्सर खुद ले लेते।
- इस कानून के तहत फैसला आने में 18 माह से 24 माह का समय आमतौर पर लग जाता है जबकि यह कानून समयबद्ध न्याय की बात करता है।
- वकीलों के मुताबिक घरेलू हिंसा केस की सुनवाई कई बार पैन्डिग छोड़ दी जाती है। वकीलों के अनुसार घरेलू हिंसा कानून की अपेक्षा 498A से जल्दी मदद व राहत संभव
- 60% वकीलों ने कहा – अधिकतर फैसलें महिलाओं के पक्ष में।
- 10% वकीलों ने कहा – गृह निवास का अधिकार बिल्कुल प्रभावी नहीं।
- 90% वकीलों ने कहा – 'मॉनीटरी रिलिफ'(आर्थिक सहायता) सरलता से मिल जाते है।
- 90% वकीलों ने कहा कि फैसला हो जाता है लेकिन उसके क्रियान्वयन की व्यवस्थाएं नहीं है।
- वकील, संरक्षण अधिकारी के नाम से परिचित लेकिन संरक्षण अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त होंगे और कौन है इस बारे में जानकारी नहीं।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के केस में वकील अपना मेहनताना 2500 से लेकर 10000 रुपये तक ले लेते है।

सेवा प्रदाताओं से जुड़े मसलें

- सेवा प्रदाता में काउन्सलिंग, अल्पावास, स्वास्थ्य सुविधा देने वाले संस्थान शामिल है।
- अल्पावास गृह में प्रवेश के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशों के बावजूद हिंसा जूझ रही महिला को SDM, ADM, ACJM, DM, DD सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुमति चाहिए होती है जबकि कानूनन उसकी जरूरत नहीं।
- काउन्सलिंग से जुड़े सेवा प्रदाताओं को किसी भी प्रकार की सहयोग अथवा अनुदान राशि नहीं दी जा रही है।
- कई सेवा प्रदाताओं के पते, महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाईट पर गलत है अथवा उल्लेखित पतों पर कोई सेवा प्रदाता नहीं है।
- सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वयन के लिए मासिक, त्रैमासिक, छःमाही या वर्ष में एक बार भी कोई मीटिंग नियोजित नहीं की जाती है।
- सेवा प्रदाताओं की जानकारी, जिला अथवा राज्य स्तर पर एकजाई होकर किसी भी सेवा प्रदाता या हेल्प लाइन पर नहीं है।
- पुलिस, चिकित्सालय, न्यायपालिका सेवाप्रदाताओं को मुश्किल से पहचानते है।
- अधिकतर सक्रिय सेवा प्रदाता जिलों में महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र का संचालन कर रहे है। सेवा प्रदाताओं की पहुंच और उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र पर आने वाले केस में से 20% महिलाएं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून की मदद ले रही है।
- चिकित्सा सुविधा के लिए सभी CHC, PHC, जिला एवं सेटेलाइट अस्पताल नोटिफाइड।
- अस्पतालों में इस कानून की जानकारी कम।

पुलिस से जुड़े मसले

- महिलाएं पुलिस के पास पहुंचती है तो वे दोनों पक्षों से बातचीत करने पर बल देते है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) कम लिखते है।
- पुलिस, पितृसत्तामक मानसिकता के कारण महिला को ही गलत मानती है।
- पुलिस प्रशिक्षण में जेण्डर जैसे मुद्दों पर बातचीत पिछले सालों में ही प्रारम्भ की गई है।
- 28 में से 22 पुलिस प्रतिनिधि ऐसे थे जिनको घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है।
- अक्सर पुलिसकर्मियों ने बताया कि वे इस कानून में कोई कार्यवाही नहीं करते। कभी–कभी सम्मन तामील में आवश्यक मदद करते है।

सिफारिशें

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून 2005 एक अन्तरिम नागरिक कानून है जो समझ निर्माण को प्राथमिकता देता है। यह मानव अधिकार के फेमवर्क में कार्य करता है। प्राथमिक तौर पर यह भागीदारी और स्वयं के साथ कार्य करने (correctional mode) को केन्द्र में रखता है। इस नजर से इस कानून को देखें तो कई प्रकार के प्रयास किये जाने की आवश्यकता राजस्थान के स्तर पर साफ दिखाई दे रही है। इन प्रयासों को निम्न बिन्दुओं में देखा जा सकता है :–

सहायक ढ़ांचे की पूर्णता एवं समन्वयन को सुनिश्चित करना

अ आवश्यक पदाधिकारियों की सुनिश्चिता

इस कानून के क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी संरक्षण अधिकारी है। ये संरक्षण अधिकारी कार्य की गति को बढ़ाते हुए समन्वयन स्थापित कर पाएंगे, किन्तु राजस्थान में सभी संरक्षण अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार के साथ हैं। सर्वप्रथम पर्याप्त मात्रा में स्वतन्त्र संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। एक जिले में एक संरक्षण अधिकारी का होना अपर्याप्त है। इसके लिए जनसंख्या, अपराधदर, महिला हिंसा की घटनाएं, क्षेत्रफल और सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता को आधार बनाकर संरक्षण अधिकारियों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए।

ब विभागों के साथ समन्वयन

कानून क्रियान्वयन हेतु समन्वयन के लिए कानून की समझ, पहल की भावना और सबकी एक समान दृष्टि बहुत आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य स्तर पर इस हेतु प्राथमिक स्तर की साफगोई और साझी समझ निर्मित कर पा रही है, किन्तु उनके अपने विभाग में भी इस कानून के लिए पहल लेकर, सुगमता बनाने की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई है। ऐसे में अन्य विभागों के साथ समन्वयन और भी मुश्किल है।

WCD द्वारा ही ही में सभी जिलों में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने के आदेश निकाले है। एक जिले में एक संरक्षण अधिकारी पूरी तरह से अपर्याप्त है।

राज्य, जिला, खण्ड, ग्राम पंचायत स्तर तक समन्वयन और Anchoring की जरूरत है। इस समन्वयन के तहत मौटे–तौर पर इस प्रकार के कार्य किये जा सकते हैं :–

- कानून का प्रचार–प्रसार और सहायक ढ़ांचे की उपलब्धता को बढ़ाना।
- तय फार्मेटस और सुनिश्चित व्यवस्थाओं को नियमित तौर पर सबके साथ बांटना।
- विभिन्न हिस्सेदारों, हितधारकों के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश देना आदि।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

अ संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं के सघन कानूनी एवं जेण्डर प्रशिक्षण

इस कानून की पृष्ठभूमि और घरेलू हिंसा की स्थितियों को समझने के लिए जेण्डर दृष्टिकोण को समझना बहुत आवश्यक है। महिला के साथ कोर्ट प्रक्रियाओं को समझने, कानूनी स्थितियों को जानने के लिए कानूनी प्रशिक्षण जरूरी है।

इसके लिए सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारियों के जेण्डर एवं कानूनी प्रशिक्षण आवश्यक हैं।

ब न्यायिक अधिकारियों के साथ जेण्डर समझ निर्माण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून को सघनता से बढ़ाने के लिए प्रशिक्षणों की आवश्यकता है।

स सभी हितधारकों को सघन, रेपिड प्रशिक्षण

पुलिस, आश्रय स्थल सेवा प्रदाता, चिकित्सा अधिकारी, वकील जिला विधिक सेवा समिति, जिला महिला सहायता समितियों के रेपिड प्रशिक्षण होना आवश्यक है ताकि सब की शक्ति एक ही दिशा में लगे।

समन्वयन, सूचना प्रबन्धन एवं मानीटरिंग

- इस कानून की बेहतर क्रियान्विति के लिए जिला स्तर पर बेहतर सूचना प्रबन्धन तन्त्र का निर्माण आवश्यक होगा।
- प्रगति एवं कमियों के लिए त्रैमासिक बैठकें नियोजित की जानी चाहिए।
- महिला संगठनों, अकादमिक संस्थानों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के लिए निर्मित सहायक ढ़ांचे और कानून क्रियान्वयन के संदर्भ में मानीटरिंग सूचकांक निर्मित करना।
- पूर्व के केस भार को कम करने और गति बढ़ाने के लिए न्याय पालिका के साथ नियमित बैठके करना।

जोनल एवं राज्य स्तर पर संदर्भ/समूह संस्था का निर्धारण कर सघन गति एवं गुणवत्ता को बढ़ाना जोनल स्तर पर संदर्भ संस्था और राज्य स्तर पर पूर्णकालीन तकनीकी संदर्भ समूह (संस्था या संस्थाओं का समूह मिलकर भी यह जिम्मेदारी ले सकते है) का निर्माण करना ताकि गुणवत्ता युक्त कार्य किया जा सके। यह समूह समय–समय पर शोध परख तरीके से राज्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून की स्थिति पर वार्षिक रपट भी पेश कर सकता है।

जिला स्तर पर छोटे, किन्तु छूटे हुए प्रावधानों को बेहतर करना जैसे निःशुल्क कानूनी सलाह, DIR भरना, पुलिस द्वारा रैफरल, आदि।

सहायक ढ़ांचे के निर्माण हेतु इस कानून के लिए बजट प्रावधानों को बढ़ाना।

कानून के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों के नजरिये

"कानून का क्रियान्वयन के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है अतिरिक्त भार के रूप में है यह तो ठण्डे बस्ते में पड़ा है" – MSSK कार्यकर्ता

प्रचार–प्रसार नहीं है और न ही संसाधन प्रशिक्षण नहीं होने से दिक्कत आती है।

नारी निकेतन DV Act मे Notified नहीं है। यह तो अलग ही चीज है। DV Act से हमारा कोई लेना देना नहीं है" – अधीक्षक, नारी निकेतन

"संरक्षण अधिकारी की कोई सूची नहीं है उनका क्या रोल है हमें पता नहीं" – सेवा प्रदाता संरक्षण प्रतिनिधि

"498A सबसे बढ़िया relief है यह बेस्ट है इसमें दूसरा पक्ष एक बार के लिए तो set हो जाता है" – एक वकील

"अधिकतर कोर्ट में पेशगार को कानून के बारे में जानकारी नहीं है मजिस्ट्रेट के पास भी जानकारी नहीं है उनके पास बहुत काम है इसीलिए पेशियां देते रहते है" – एक वकील

DV में केस साल भर से लगाया है पर फायदा नहीं मिला। तारीखें मिलती रहती है। उन्होंने तो हमसे भी भारी वकील किया।– एक महिला

क्या करे या क्या न करे। कुछ पता नहीं चलता।

यह कानून भारतीय संस्कृति के खिलाफ है– एक न्यायिक अधिकारी

ये कानून नही होता तो मै आज घर से बाहर होती– एक महिला

इस Act का हमको क्या फायदा। पुलिस की मदद नही मिल रही हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। यह तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है। एक बार महिला के घर बयान लेने गए। उसके माता–पिता ने मना किया।

संरक्षण अधिकारी कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन (बजट, फोन, गाड़ी) नहीं होने के कारण काम में काफी दिक्कतें हैं।

जागरुकता स्तर

आमजन की राय को समझने हेतु 500 व्यक्तियों के साथ रेपिड सर्वे किया गया, जिसमें 171 ग्रामीण महिलाएं, 69 ग्रामीण पुरुष, 164 शहरी महिलाए, 96 शहरी पुरुष शामिल थे जिनसे कुछ सवाल किये गए जिनसे उभरी समझ इस प्रकार है।

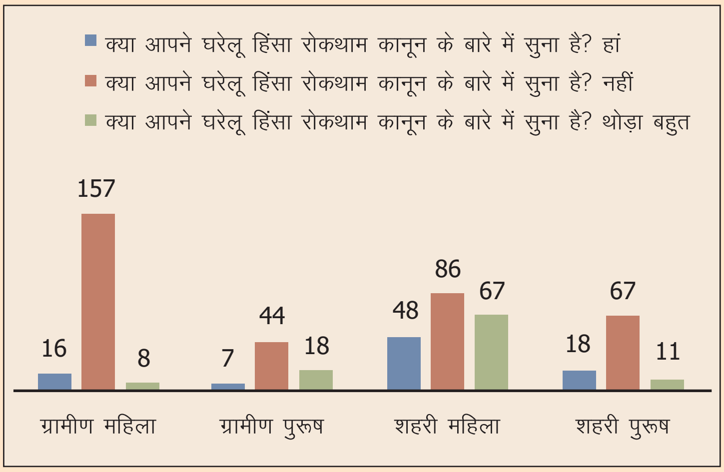

उत्तरदाता	आप इस बात से कितना सहमत है कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाऐं एक सामान्य बात है।				कुल
	हां	थोड़ा बहुत	नहीं	पता नहीं	
ग्रामीण महिला	68	34	38	31	171
ग्रामीण पुरुष	26	16	22	5	69
शहरी महिला	66	59	11	28	164
शहरी पुरुष	28	26	9	6	69

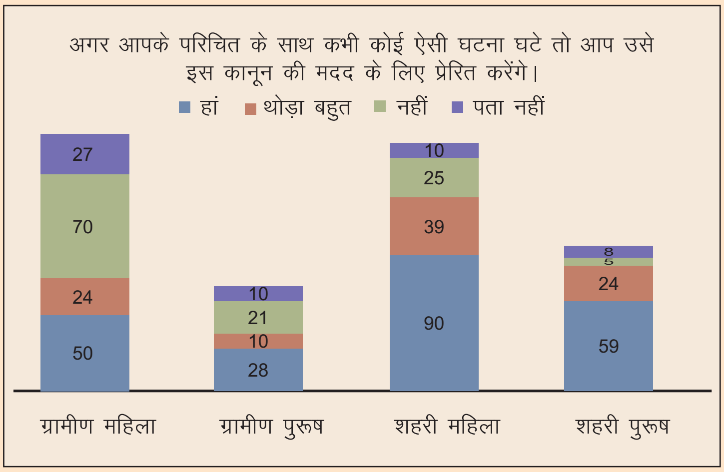

इस कानून को लेकर जागरुकता का स्तर शहरी क्षेत्रों में काफी कम है और इसे जब ग्रामीण क्षेत्रों में देखते है तो यह और भी कम है।

अध्ययन की चुनौतियां

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून पर अध्ययन की सबसे बड़ी चुनौती कई विभागों के साथ एक साथ समन्वयन।
- विभाग इस संदर्भ में व्यवस्थित तरीके से आंकड़े नहीं रखते।
- आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार जैसे कानूनों की मदद लेनी पड़ती है।
- आंकड़े शहर एवं ग्रामीणों के मद में पृथक–पृथक संधारित नहीं है।
- ग्रामीण स्तर पर सेवा प्रदाताओं की पहुंच बहुत कम है।
- महिला हिंसा रोकथाम पर व्यापक प्रशिक्षणों का अभाव होने के चलते प्रत्येक विभाग/व्यक्ति महिला हिंसा को अपनी तरह से देखता, समझता है।
- अधिकतर केस वकीलों के मार्फत जा रहे है और कुछ महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र के मार्फत। दोनों ही स्थितियों में केस के अधिकतर दस्तावेज महिला के पास उपलब्ध नहीं होते।
- स्थानीय स्तर पर महिला हिंसा रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार के संदर्भ केन्द्र न होने के चलते, जिले में चल रहे महिला समर्थक कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती।
- अलग–अलग जगहों अथवा एक ही विभाग के राज्य एवं जिला स्तर पर दिये जाने वाले आंकड़ों में फर्क के कारण असमंजस उत्पन्न होता है।

महत्वपूर्ण फोन नम्बर

महिला आयोग	0141 2779002/03/04
निदेशक महिला अधिकारिता	0141 2705541, 2706563
पुलिस महानिरीक्षक	0141 2575715
मानव अधिकार आयोग	0141 2227868,2227565
महिला आयोग हेल्प लाईन	181/18001806781
गरिमा हेल्प लाईन	1090
शक्ति स्तम्भ हेल्प लाईन	0141 2609757/2609737
अपराजिता केन्द्र	0141 2553763/2553764

विशाखा
महिला शिक्षा एवं शोध समिति
एफ1–71, उदय नगर बी, किसान धर्मकांटे के पास
न्यू सांगानरे रोड जयपुर 302019
फोन 0141 2786526
ईमेल info@vishakhawe.org
वेब www.vishakhawe.org

actionaid

Jaipur Regional Office : D-143/B, Kaushalya Path,
Durga Marg, Bani Park, Jaipur -16 (Rajasthan)
Phone :- 0141-2209813/14

Designed by : Shabnam